रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 1979/ज्येष्ठ 17, 1901
No. 242] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1979/JYAISTHA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No ......
20 JUL 1979
GOVT. OF INDIA.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1979

अधिसूचना

का० आ० 339 (अ) :—यतः दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस (आई) ने विशेष न्यायालय विधेयक (बाद में विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 के रूप में अधिनियमित किया) का विरोध करने के लिए 1 मई, 1979 को एक जुलूस निकाला,

और यतः, जब जुलूस निकालने वाले कनाट प्लेस के बाहरी सर्कल और जनपथ क्षेत्रों में थे, तो अव्यवस्था फैलाने, कुछ व्यक्तियों को पीटने तथा जख्मी करने की हिंसक घटनाएं और दुकानों को क्षति पहुंचाने तथा लूटने की घटनायें हुई और पुलिस को बल प्रयोग करके जुलूस को तितर-बितर करना था,

और यतः, ये आरोप लगाये गये हैं कि श्री संजय गांधी (श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र) और उनके साथी उक्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी थे,

और यतः ये प्रत्यारोप लगाये गये हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध व्यक्ति जलूस में घुस आये थे और वे इसके लिए उत्तरदायी थे,

और यतः यह भी आरोप लगाया गया है कि ये घटनायें पूर्व विचारित तथा पूर्वनियोजित थीं,

और यतः इन घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गई है,

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के एक निश्चित विषय, अर्थात् अभिकथित घटनाओं और पुलिस द्वारा बल प्रयोग से संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने की आवश्यकता, की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें एक सदस्य, अर्थात् सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सिंह गुजराल, होंगे ।

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) 1 मई, 1979 को कनाट प्लेस के बाहरी सर्कल और जनपथ क्षेत्रों में अव्यवस्था फैलाने, कुछ व्यक्तियों को पीटने तथा जख्मी करने की हिंसक घटनाओं और दुकानों को क्षति पहुंचाने तथा लूटने की हुई घटनाओं के कारणों तथा क्रम की जांच करना,

(ख) उक्त क्षेत्रों में सम्पत्ति की क्षति, ऐसी क्षति की मात्रा और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के बारे में जांच करना,

(ग) यह जांच करना कि क्या कोई विशेष व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल उपर्युक्त (क) में उल्लिखित घटनाओं अथवा उनमें से किसी घटना के लिए उत्तरदायी था, यदि हां, तो क्या इन घटनाओं अथवा उनमें से किसी भी घटना के लिए किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक दल की ओर से कोई पूर्व योजना थी,

(घ) उपर्युक्त घटनाओं में पुलिस कर्मचारियों और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को लगी चोट और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में जांच करना,

(ङ) उपर्युक्त घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करना,

(च) पुलिस द्वारा बल प्रयोग के औचित्य, उसकी मात्रा और क्या उसका अत्यधिक प्रयोग किया गया था, इनके बारे में जांच करना,

(छ) उपर्युक्त मामलों से सम्बद्ध किसी अन्य मामले की जांच करना ।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. आयोग 31 अगस्त, 1979 को अथवा उससे पहले जांच पूरी कर लेगा और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

5. और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), और [उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू किये जाने [चाहिए, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन निदेश देती है कि उपर्युक्त सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

[सं० यू० 11036/1/79—यू० टी० एल०]

म० ल० कम्पानी, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th June, 1979

NOTIFICATION

S.O. 339(E).—Whereas the Delhi Pradesh Youth Congress (I) took out a procession on the 1st May, 1979, to protest against the Special Courts Bill (later on enacted as the Special Courts Act, 1979);

And whereas there were incidents of disorderly behaviour, violence leading to the beating of and injuries to certain persons and damaging and looking of shops, when the processionists were in Connaught Place outer-circle and Janpath areas and the procession had to be dispersed by the police by the use of force;

And whereas allegations have been made that Shri Sanjay Gandhi (son of Smt. Indira Gandhi) and his associates were responsible for the aforesaid incidents;

And whereas counter allegations have been made that persons associated with Rashtriya Swayam Sewak Sangh had infiltrated into the procession and were responsible therefor;

And whereas it has also been alleged that these incidents were pre-mediated and pre-planned; and whereas demands have been made for a judicial inquiry into these incidents;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the need for ascertaining all the relevant facts and circumstances relating to the aforesaid incidents and the use of force by the police.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely, Shri Justice Manmohan Singh Gujral, Chief Justice, Sikkim High Court.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows :—

(a) to inquire into the causes and course of incidents of disorderly behaviour, violence leading to the beating of and injuries to certain persons and damage and looting of shops which took place in the Connaught Place outer-circle and Janpath areas on 1st May, 1979;

(b) to inquire into the damage to property in the said areas, the extent of such damage and the person or persons responsible therefor;

(c) to inquire whether any particular individual, organisation or political party was responsible for the incidents or any of the incidents referred to in (a) above and, if so, whether there was any pre-planning on the part of any such individual, organisation or political party for causing these incidents or any of them;

(d) to inquire into the injuries sustained by the police personnel and any other individuals in the aforesaid incidents and the persons responsible for the same;

(e) to inquire into the adequacy of administrative measures taken to prevent and deal with the aforesaid incidents;

(f) to inquire into the justification for the use of force by the police, the extent thereof and whether the same was excessive;

(g) to inquire into any other matter having relevance to the above mentioned matters.

3. The headquarters of the Commission will be at New Delhi.

4. The Commission will complete its inquiry and report to the Central Government on or before the 31st day of August, 1979.

5. And whereas the Central Government is of opinion that having regard to the nature of inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission, the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

[No. U-11036/1/79-UTL]

M. L. KAMPANI, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979